

फेमसिाइड्स, 2023: ग्लोबल एस्टमेट्स ऑफ इंटीमेट पार्टनर/फैमिली मेंबर फेमसिाइड्स रपॉर्ट

प्रलमिन्स के लिये:

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उनमूलन के लिये अंतरराष्ट्रीय दविस, संयुक्त राष्ट्र महिला, मादक पदार्थों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022, संयुक्त राष्ट्र महासभा।

मेन्स के लिये:

महिलाओं से संबंधित मुद्दे, सामाजिक मानदंडों की भूमिका और महिला सशक्तीकरण

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

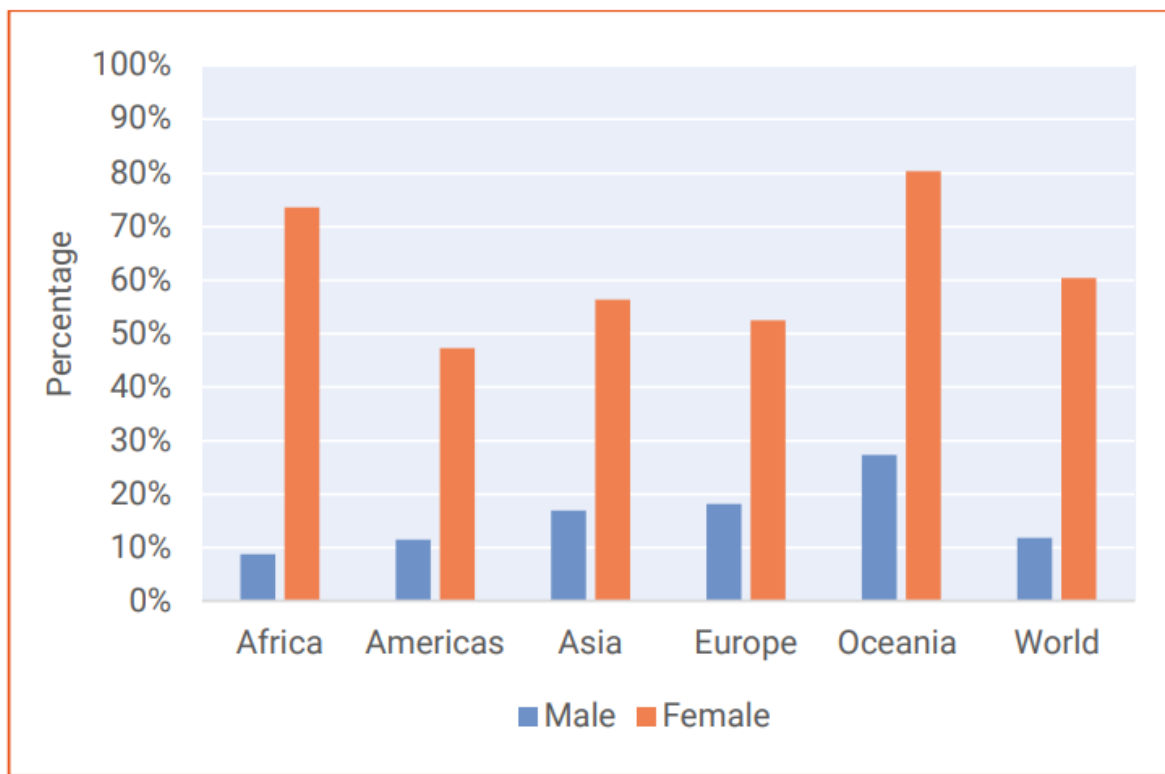
चर्चा में क्यों?

हाल ही में [महिलाओं के खिलाफ हिंसा उनमूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दविस \(25 नवंबर\)](#) के दौरान फेमसिाइड्स, 2023: ग्लोबल एस्टमेट्स ऑफ इंटीमेट पार्टनर/फैमिली मेंबर फेमसिाइड्स रपॉर्ट के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर प्रकाश डाला गया।

- यह रपॉर्ट [संयुक्त राष्ट्र महिला](#) और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) द्वारा जारी की गई, जिसमें महिला हत्या के वैश्विक संकट की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया।
- महिलाओं की हत्या को लिंग-संबंधी प्रेरणा के साथ जानबूझकर की गई हत्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह महिलाओं और लड़कियों के वरिद्ध भेदभाव, असमान शक्ति संबंधों, लैंगिक रूढ़िवादिता या हानिकारक सामाजिक मानदंडों से प्रेरित है।
 - यह हत्या से भिन्न है, जिसमें लिंग-तटस्थ उद्देश्य मौजूद हो सकता है।

रपॉर्ट के मुख्य नष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक परदृश्य: वर्ष 2023 में, विश्व में 85,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या जानबूझकर की गई, जिनमें से 60% (लगभग 51,100) की हत्या अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा की गई।
 - औसतन प्रतिदिन 140 महिलाएँ और लड़कियाँ अपने अंतरंग साथी या नजिक संबंधियों द्वारा सत्री-हत्या की शिकार हो जाती हैं।
- क्षेत्रीय असमानताएँ: अफ्रीका में पीड़ितों की संख्या सबसे अधिक (21,700) और प्रतिजनसंख्या महिला हत्या की दर सबसे अधिक (प्रति 100,000 पर 2.9) दर्ज की गई है।
 - इसके बाद अमेरिका और ओशनिया में क्रमशः 1.6 और 1.5 प्रति 100,000 दर्ज की गई है, जबकि एशिया और यूरोप में यह दर काफी कम, 0.8 और 0.6 प्रति 100,000 थी।
- गैर-घरेलू महिलाओं की हत्याएँ: गैर-घरेलू महिलाओं की हत्याओं में भी तेज़ी देखी गई है। उदाहरण के लिये, फ्रांस (2019-2022) में 5% और दक्षिण अफ्रीका (2020-2021) में 9% गैर-घरेलू महिलाओं की हत्याओं के मामले दर्ज किये गए हैं।
- मानवहत्या: अनुमान है कि वर्ष 2023 में सभी हत्या में से 80% हत्याओं में पुरुष शामिल हैं जबकि 20% महिलाएँ हैं।
 - लेकिन, घातक हिंसा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है, वर्ष 2023 में जानबूझकर मारी गई लगभग 60% महिलाएँ अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य की हत्या का शिकार होती हैं।



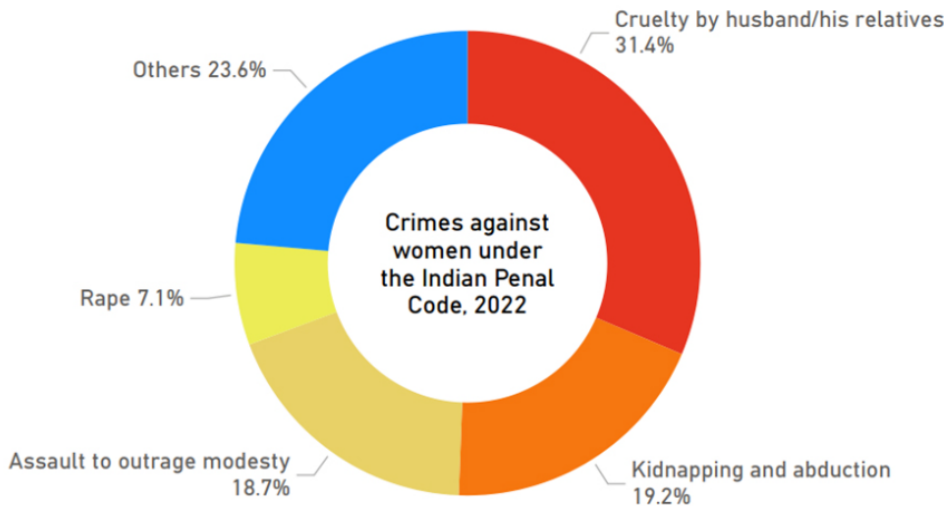
- **महिला हत्या की रोकथाम:** अंतरंग साथी (Intimate Partners) द्वारा की गई महिलाओं की हत्या से संबंधित काफी मामलों में **हिसा की रपिपोर्ट** की गई थी, जिसमें **फ्रांस** (2019-2022) में 22-37% मामलों के साथ **दक्षिण अफ्रीका** (2020-2021) में इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई।
- **डेटा और उपलब्धता:** इससे संबंधित डेटा उपलब्धता में गिरावट आई है **वर्ष 2020** (75 देशों ने) की तुलना में **वर्ष 2023** में केवल आधे देशों द्वारा ही इससे संबंधित डेटा उपलब्ध कराए गए।
 - केवल कुछ ही देश **UNODC-UN वुमेन फ्रेमवर्क** का उपयोग करके **गैर-घरेलू महिला हत्याओं** से संबंधित डेटा एकत्र करते हैं।

महिलाओं के वरिद्ध हिंसा के कौन-कौन से रूप हैं?

- **घरेलू हिंसा:** इसमें वर्तमान या पूर्व साथी (प्रायः पति या परिवार के सदस्य) द्वारा की गई ऐसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जिनसे **शारीरिक, यौन या भावनात्मक कष्ट** होती है।
 - इसके उदाहरणों में **शारीरिक आक्रामकता, जबरदस्ती, मनोवैज्ञानिक दुरव्यवहार** तथा नयितरणकारी व्यवहार शामिल हैं।
- **यौन हिंसा:** इसमें महिलाओं और बालिकाओं को नशिना बनाकर उनकी सहमति के बिना **अवांछित यौन कृत्य** किया जाना शामिल है।
 - इसके उदाहरणों में **बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन यौन शोषण, गैर-संपर्क यौन शोषण, तस्करी** तथा जबरन वेश्यावृत्ति शामिल हैं।
 - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022** के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में 31,000 से अधिक (प्रतिदिन लगभग 87 मामले) बलात्कार के मामले दर्ज किये गए।
- **मनोवैज्ञानिक दुरव्यवहार:** इसमें नज़रों, इशारों या चलिलाने के माध्यम से डराना-धमकाना साथ ही अपमान, अश्लील या अपमानजनक टिप्पणियाँ करना शामिल है।
 - इसमें मासिक धर्म वाली महिलाओं को अलग-थलग करने के साथ **कन्या भ्रूण हत्या** जैसी प्रथाएँ (जिनसे महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान का उल्लंघन होता है) भी शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक दुरव्यवहार:** इसमें महिला जननांगों की वकृति, बाल विवाह, जबरन विवाह एवं हिंसा जैसी नकारात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ शामिल हैं।
- **प्रौद्योगिकी-प्रचारित हिंसा:** इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर **बदनामी, उत्पीड़न, पीछा करना, साइबर धमकी**, मॉर्फेड एवं डीपफेक वीडियो का वितरण तथा **डॉक्सिंग** (किसी महिला के बारे में नज़ी जानकारी को सार्वजनिक रूप से जारी करना) शामिल है।

भारत में लैंगिक हिंसा के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2022 के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में **4% वृद्धि** हुई है।
- **महिलाओं के खिलाफ अपराधों की प्रकृति:** वर्ष 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अधिकांश अपराध नमिनलखित प्रकृति के थे:



- इसके अतिरिक्त **दहेज नषिध अधिनियम, 1961** के तहत **13,479** मामले दर्ज किये गए।
- **FIR दर्ज करना:** NCRB की रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध **4.45 लाख से अधिक** मामले (प्रतिघंटे लगभग **51 FIR**) दर्ज किये गए।
- **बलात्कार के अधिक** मामले: वर्ष 2022 में **31,000** से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किये गए। वर्ष 2016 में बलात्कार के मामले लगभग 39,000 तक पहुँच गए।
 - वर्ष 2018 में देश भर में औसतन प्रत्येक **15 मिनट** में एक महिला द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

महिलाओं के वरिद्ध हिसा उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दविस

- यह दविस महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिसा (Violence Against Women and Girls- VAWG) के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिये 25 नवंबर को मनाया जाता है।
 - इसे वर्ष 1999 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा नामित किया गया था।
- **मरिबल बहनों का सम्मान:** यह दनि डोमिनिकन गणराज्य की **मरिबल बहनों** (पेट्रिया, मनिर्वा और मारिया टेरेसा) के सम्मान में मनाया जाता है, जो **राफेल ट्रुजिलो** की तानाशाही तथा हिसा के खिलाफ प्रतिरोध की प्रतीक थीं।
 - 25 नवंबर, 1960 को ट्रुजिलो (Trujillo's) के आदेश पर दोनों बहनों की **हत्या** कर दी गई।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)

- वर्ष 1997 में स्थापित UNODC अवैध ड्रग्स, अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से निपटने में एक वैश्विक अग्रणी संस्था है।
- **मुख्यालय:** यह बयिना में स्थित है तथा इसके संपर्क कार्यालय **न्यूयॉर्क और बुरुसेल्स** में हैं।
- **आतंकवाद की रोकथाम:** आतंकवाद के वरिद्ध सार्वभौमिक कानूनी उपायों के अनुसमर्थन और कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता के लिये वर्ष 2002 में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया।

यू.एन. वीमेन

- **परिचय:** संयुक्त राष्ट्र महिला एक **संयुक्त राष्ट्र इकाई** है जिसका लक्ष्य वैश्विक लैंगिक असमानता को दूर करना और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है।
- **नरिमाण:** **संयुक्त राष्ट्र सुधार एजेंडे** के हिससे के रूप में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा **जुलाई 2010** में स्थापित। इसमें चार मौजूदा संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं का वलिय किया गया।
 - महिला उन्नतपिभाग (DAW)
 - महिलाओं की उन्नत के लिये अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (INSTRAW)
 - लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की उन्नतपि वरिष सलाहकार का कार्यालय (OSAGI)
 - महिलाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (UNIFEM)
- **मुख्य लक्ष्य:** महिलाओं और लड़कियों के प्रतिभेदभाव को समाप्त करना।
 - महिलाओं को सशक्त बनाना तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता प्राप्त करना।
 - विकास, मानवाधिकार, शांति और सुरक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

भारत में महिला सुरक्षा के लिये प्रमुख कानून क्या हैं?

- [अनैतिक व्यापार \(रोकथाम\) अधिनियम, 1956](#)
- [महिलाओं का अश्लिष्ट चित्रण अधिनियम, 1986](#)
- [घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005](#)
- [कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न \(रोकथाम, निषेध और निवारण\) \(PoSH\) अधिनियम, 2013](#)
- [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधिनियम, 2012](#)



महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को संदर्भित करती है, चाहे वह घर, परिवार या घरेलू इकाई की सीमा के भीतर शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक हो।



राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS), 2019-2021

- ⤵ 29.3% विवाहित महिलाओं ने घरेलू/यौन हिंसा का अनुभव किया
- ⤵ 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा
- ⤵ 87% विवाहित महिलाओं, जो वैवाहिक हिंसा की शिकार हुईं, ने मदद नहीं मांगी
- ⤵ 32% विवाहित महिलाओं ने **शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा** का अनुभव किया

भारत में कानूनी ढाँचे

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)	■ इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है ■ सुरक्षा, निवास और अनुतोष हेतु विभिन्न आदेश प्रदान करता है
भारतीय दंड संहिता, 1860	■ धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है ■ क्रूरता, उत्पीड़न या यातना के कृत्यों को अपराध घोषित करता है
दहेज निषेध अधिनियम, 1961	■ यह दहेज देने या दहेज लेने को अपराध घोषित करता है
दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013	■ घरेलू हिंसा के मामलों में यौन उत्पीड़न से संबंधित नए अपराधों को शामिल करने के लिये IPC की धारा 354A में संशोधन किया गया।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	■ महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और घरेलू हिंसा से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	■ बाल विवाह को रोकना और बाल वधू के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकना।

वैश्विक पहलें

- ⤵ **महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर केंद्रित 'संधि' (CEDAW):** वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया
 - ⊗ जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना
- ⤵ **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (DEVAW):** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय उपकरण
 - ⊗ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है
- ⤵ **सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान:** संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम
 - ⊗ सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के अन्य रूपों को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना
- ⤵ **बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995):** हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिये सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करता है
- ⤵ **SDG 5 (लैंगिक समानता):** प्रत्येक स्थान पर सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना



Drishti IAS

रपौर्ट के अनुसार महिला हत्या को कैसे रोका जाए?

- **मूल कारणों पर ध्यान देना:** वभिनिन सत्तरों पर लैंगिक हसिा के मूल कारणाँ पर ध्यान केंद्रति करना ।
 - व्यक्तगित सत्तरः हसिा के दृष्टकिण, व्यवहार और इतहिस को संबोधति करना ।
 - पारस्परकि संबंधः पारवारकि गतशीलता और साझेदार अंतःकरयाओं में सुधार ।
 - सामुदायकि सत्तरः संगठनात्मक और समुदाय-आधारति सहायता प्रणालयाँ को मज़बूत करना ।
 - सामाजकि सत्तरः जड़ जमाये हुए लैंगिक मानदंडों और रूढ़याँ को चुनौती देना ।
- **शैक्षकि पहलः** लैंगिक समानता, संबंध कौशल और पुरुषों और महिलाओं के लयि स्वीकार्य सामाजकि भूमिकाओं को बढ़ावा देने हेतु पाठ्यक्रम को एकीकृत करना ।
 - हसिा को बढ़ावा देने वाले दृष्टकिणों और व्यवहारों पर पुनर्वचार करने में दोनों लैंगिकों को शामिल करना ।
- **कानूनी उपायः** लैटिन अमेरिका की तरह, लगि आधारति उद्देश्यों से प्रेरति हत्याओं के लयि गंभीर कारकों को जोड़ते हुए, महिला हत्या को एक अलग आपराधकि अपराध के रूप में वर्गीकृत करना ।
 - लैंगिक हसिा से नपिटने के लयि पुलसि, न्यायपालकिा और अभयिोजन सेवाओं के भीतर समर्पति इकाइयाँ स्थापति करना (जैसे, कनाडा, स्वीडन, जॉर्डन) ।
- **जोखमि न्यूनीकरणः** पुलसि को उच्च जोखमि वाली स्थतियाँ की पहचान करने और तत्काल हस्तक्षेप करने के लयि प्रशक्षति करना ।
 - हत्याओं की संभावना को कम करने के लयि अपराधयाँ और पीड़ति के बीच संपर्क को रोकने के आदेश लागू करना तथा अंतरंग साथी के साथ हसिा की प्रवृत्तवाल के व्यक्तयाँ को हथियारों का लाइसेंस नहीं देना चाहयि ।
- **जागरूकता आंदोलनः** लैंगिक हसिा की ओर जनता का ध्यान आकर्षति करने और अपकारी प्रथाओं की नदिा करने के लयि [?/?/?/?] [?/?/?/?/?] (#Me Too) और [?] [??] [???] [????] (अर्जेंटिना में एक भी महिला कम नहीं) जैसे अभयान ।
- **डेटा संग्रहण और वशिलेषणः** सरकारों को महिला-हत्या के रुझान और पैटर्न पर वार्षकि रिपोर्ट तैयार करनी चाहयि ।
 - नागरकि समाज को वभिनिन स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों की निगरानी और वशिलेषण के लयि "फेमीसाइड ऑब्जर्वेटरी" स्थापति करनी चाहयि ।

नषिक्कर्ष

रिपोर्ट में **महिला हत्या के वैश्विक संकट** पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें लैंगिक हिंसा से निपटने के लिये **बहुआयामी दृष्टिकोण** अपनाने का आग्रह किया गया है। रोकथाम के लिये मूल कारणों को संबोधित करना, कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और डेटा संग्रह में सुधार करना आवश्यक है। महिला हत्या को रोकने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये **व्यक्तिगत, सामाजिक एवं संस्थागत स्तरों पर सामूहिक कार्यवाही** आवश्यक है।

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□:

प्रश्न: लैंगिक हिंसा के मूल कारणों की जाँच कीजिये और भारत में महिला हत्या को रोकने के लिये रणनीति प्रस्तावित कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिमिन्स

प्रश्न. प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला 'बीजगि घाषणा और कार्रवाई मंच (बीजगि डकिलरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन)' नमिनलखिति में से क्या है? (2015)

- (a) कषेत्रीय आतंकवाद से नपटने की एक कार्यनीति (सुट्टरैटजी), शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का एक परणाम ।
 (b) एशिया-प्रशांत कषेत्र में धारणीय आर्थिक संवृद्धि की एक कार्य-योजना, एशिया-प्रशांत आर्थिक मंच (एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम) के वचार-वमिश्र का एक परणाम ।
 (c) महिला सशक्तीकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजति वशि्व सम्मेलन का एक परणाम ।
 (d) वन्यजीवों के दुर्व्यापार (ट्रैफकिंग) की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शखिर सम्मेलन (ईसट एशिया समिटि) की एक उदघोषणा ।

उत्तर: C

?????

परश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हर्सा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिये कुछ अभिनव उपाय सुझाइये। (2014)

प्रश्न: महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये। टपिपणी कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/femicides-in-2023-global-estimates-of-intimate-partner-family-member-femicides-report>

